न्यायालय न्याय निर्णयन अधि[redacted]तिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी–

रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर
40/2012प्रा.पत्र/2012

तारीख दायरा
22.11.2012

तारीख निर्णय
16.10.2025

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री बाबू लाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स बाबू लाल ओमप्रकाश बस स्टैण्ड के पास उनियारा जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 1 टोंक रोड उनियारा जिला टोंक राज.
2–श्री हरिनारायण शर्मा पुत्र श्री श्रीनारायण शर्मा एफ.बी.ओ. मैसर्स सपना ट्रेडिंग कम्पनी वार्ड नं. 12 उनियारा जिला टोंक राज.।
3–श्री गोपीचन्द यादव सोल प्रोपरायटर मैसर्स अमित एन्टरप्राईजेज मालपुरा दरवाजा के बाहर सांगानेर जिला जयपुर निवासी 36, खटोडिया की ढाणी बक्सावाला ग्रामीण तह. सांगानेर जिला जयपुर राज.।
4–श्री अमर जीत सिंह बत्रा सोल प्रोपरायटर मैसर्स अमर एन्टरप्राईजेज 74, लक्ष्मी नगर, सूरज अपार्टमेन्ट, निवारू रोड झोटवाडा जयपुर राज.।
5–श्री जितेन्द्र सिंह सोल प्रोपरायटर मैसर्स श्री जय श्री एग्रो फूड प्रोडक्ट बी–76 अग्रसेन टावर विद्याधर नगर जयपुर निवासी वार्ड नं. 6, फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर राज.।

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफ.एस.एस. एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 व 2 श्री विक्रम जैन एड.
अभिभाषक अप्रार्थी सं. 3 ता 5 श्री दिनेश कुमार शर्मा उप0।

:–<u>निर्णय</u>–: दिनांक 16/10/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.05.2012 को समय 04:10 पी.एम. पर मैसर्स बाबू लाल ओमप्रकाश बस स्टैण्ड के पास उनियारा जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉ पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री बाबू लाल जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स बाबू लाल ओमप्रकाश बस स्टैण्ड के पास उनियारा जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री बाबू लाल जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री बाबू लाल जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा विक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान की रैक में **माइल्ड फैट श्री भोग गोल्ड (सील पैक)** 455–455 ग्राम के लगभग 16 मूल पैक डिब्बे रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री बाबू लाल जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री बाबू लाल जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर यह **माइल्ड फैट श्री भोग गोल्ड (सील पैक)** वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 455–455 ग्राम के 4 मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **माइल्ड फैट श्री भोग गोल्ड (सील पैक)** 455–455 ग्राम के 4 मूल पैक को ज्यों का त्यों अलग–अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में अलग–अलग रखकर अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–322 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–322 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉं तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री ओमप्रकाश जैन पुत्र श्री बाबू लाल जैन मैसर्स बाबू लाल ओमप्रकाश बस स्टैण्ड के पास उनियारा जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स सपना ट्रेडिंग कम्पनी वार्ड नं. 12 उनियारा जिला टोंक का बिल पेश किया। मैसर्स सपना ट्रेडिंग ने मैसर्स अमित एन्टरप्राईजेज मालपुरा दरवाजा के बाहर सांगानेर जिला जयपुर का बिल पेश किया। आवेदक द्वारा मैसर्स अमित एन्टरप्राईजेज से सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स अमर एन्टरप्राईजेज 74, लक्ष्मी नगर, सूरज अपार्टमेन्ट, निवारू रोड झोटवाडा जयपुर राज. का खरीद बिल पेश किया एवं मैसर्स अमर एन्टरप्राईजेज ने बतौर वारन्टी मैसर्स श्री जय श्री एग्रो फूड प्रोडक्ट बी–76 अग्रसेन टावर विद्याधर नगर जयपुर का वारन्टी बिल प्रेषित कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/12/2045 दिनांक 11.06.2012 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एल.एस./532/एफ.एस.एस.ए./2012/534 दिनांक 01.06.2012 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **माइल्ड फैट श्री भोग गोल्ड (सील पैक)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **माइल्ड फैट श्री भोग गोल्ड (सील पैक)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **माइल्ड फैट श्री भोग गोल्ड (सील पैक)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/10/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन डोकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज